स्वतंत्रता के बाद किन्नर समुदाय के अधिकारों में परिवर्तन।

प्रिया यादव (Priya Yadav)

M.A. Hindi

परिचय

भारत में किन्नर समुदाय, जिसे हिजड़ा समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, की एक लंबी और जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद से, इस समुदाय ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया है। भारतीय समाज में लंबे समय तक हाशिए पर रहने के बावजूद, पिछले कुछ दशकों में किन्नर समुदाय के अधिकारों और पहचान को कानूनी और सामाजिक स्तर पर मान्यता मिलने लगी है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जिसने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, और सम्मान का अधिकार दिया। इसके बावजूद, किन्नर समुदाय को ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी विशेष पहचान और आवश्यकताओं को कानूनी और सामाजिक ढांचे में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, विशेषकर 21वीं सदी में। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय और 2019 का 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' जैसे प्रमुख कानूनी घटनाक्रम इस दिशा में मील के पत्थर साबित हुए हैं। ये कानून और निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी पहचान की मान्यता, और उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कानूनी प्रगति के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी किन्नर समुदाय के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ी है। मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस समुदाय की आवाज को मजबूत बनाने और उनकी समस्याओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पृष्ठभूमि में, यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वतंत्रता के बाद से किन्नर समुदाय के अधिकारों में हुए परिवर्तनों और प्रगति को समझें और स्वीकारें। यह अध्ययन इस दिशा में एक प्रयास है, जिससे हम इस समुदाय के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और आगे की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

1.1 स्वतंत्रता के बाद का परिदृश्य: किन्नर समुदाय के अधिकारों में परिवर्तन

- **संवैधानिक अधिकारों की स्थापना:** स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, और सम्मान का अधिकार दिया, जिससे किन्नर समुदाय को भी समान अधिकार मिलने की नींव रखी गई।
- **कानूनी पहचान और मान्यता:** 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी, जिससे उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और समाज में उनकी पहचान को कानूनी स्वीकृति मिली।
- **ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019:** 2019 का 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' पारित किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
- **शिक्षा और रोजगार में अवसर:** कई राज्य सरकारों और संगठनों ने किन्नर समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और विशेष अवसर प्रदान किए, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया।
- **सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति:** मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किन्नर समुदाय के मुद्दों को उजागर किया, जिससे समाज में उनके प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ी।

II. साहित्य की समीक्षा

भारद्वाज, डॉ निशा. (2024)। यह लेख "ट्रांसजेंडर कौन है" मुद्दे पर लिखा गया है। ट्रांसजेंडर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक किन्नर की तस्वीर उभरती है। किन्नर सेक्स पर आधारित तीसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। अब सवाल यह उठता है कि किन्नरों को ट्रांसजेंडर क्यों कहा जाता है। वे कौन से पुरुष और महिलाएं हैं जो हार्मोनल असंतुलन पेश करते हैं, जो शारीरिक रूप से पुरुष-महिला की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं और विपरीत लिंग की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति लिंग द्वारा पुरुष-महिला शरीर का प्रतिनिधित्व करता है उसका व्यक्तित्व विरोधाभासी होता है, अर्थात पुरुष होते हुए भी वह महिला व्यवहार, कार्यप्रणाली और सोच प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार, एक महिला, शारीरिक रूप से महिला होने के बावजूद, एक पुरुष की तरह व्यवहार करती है, काम करती है, सोचती है और कपड़े पहनती है। इस प्रकार, ट्रांसजेंडर शब्द व्यक्ति के लिंग को नहीं बल्कि लिंग या व्यक्तित्व को दर्शाता है, अर्थात ट्रांसजेंडर का अर्थ व्यक्ति की जैविक शारीरिक संरचना से परे व्यक्ति का व्यवहार और कार्यप्रणाली है। यानी कि ट्रांसजेंडर का मतलब व्यक्तित्व की आंतरिक भावना से है। इसलिए, यह लेख हमें ट्रांसजेंडर मुद्दे के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय और हार्मोन के कारण अपने जैविक लिंग के विपरीत पहचान पेश करने वाले लोगों को एक साथ आने की समस्या को हल करने में मदद करेगा। जिसे हम रिसर्च के साथ-साथ अलग-अलग लोगों के अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे।

भारद्वाज, डॉ निशा. (2023) । थर्ड जेंडर और किन्नर समाज: पहचान, जीवन और सामाजिक मुद्दे डॉ. निशा भारद्वाज यह शोध पत्र हिजड़ों, किन्नरों (भारत में हिजड़ा समुदाय खुद को किन्नर कहलाना पसंद करते हैं) या उभयलिंगी लोगों पर है, जिन्हें उभयलिंगी, हिजड़ा कहकर संबोधित किया जाता है। खड़ी बोली), किन्नर, छक्का (हिंदी), अरवानी (तमिल), मंगलामुखी (कन्नड़), खुसरा या जखा (पंजाबी), ख्वाजा सारा (उर्दू) और पवैया (गुजराती)। इसीलिए मैं किन्नर या हिजड़ा शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो जन्म से ही विकृत हैं, जो पुरुष-महिला की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, यानी जो व्यक्ति लिंग से पुरुष-महिला के रूप में पहचान नहीं करता है। इसलिए इस लेख के अंतर्गत किन्नरों की पहचान, जीवन, स्वभाव, कार्यशैली और पद्धति, समस्या और भय (जीवन, पहचान और पेशा) का विश्लेषण किया जाएगा। इस लेख को लिखने में मैंने किन्नरों के साक्षात्कार और लेखन सामग्री को आधार बनाया है। किन्नरों का पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व एवं आज के परिप्रेक्ष्य में उनका जीवन एवं समस्याएँ।

क्रेग, रे. (2023)। यह पेपर दिल्ली, भारत में ट्रांसजेंडर (ट्रांस) समुदाय के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और समुदाय को मिलने वाली स्वास्थ्य देखभाल के बीच संबंध बनाने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से उन ट्रांसजेंडर लोगों पर चर्चा करता है जो किन्नर आबादी का हिस्सा नहीं हैं, किन्नर समुदाय के अनुभवों पर यथासंभव विचार करते हुए, उनके क्षेत्रों तक सीमित पहुंच प्रदान की जाती है। ट्रांस समुदायों के साथ काम कर चुके पांच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दो सिजेंडर व्यक्तियों ने दिल्ली में ट्रांस लोगों के दैनिक जीवन और उनके स्वास्थ्य देखभाल अनुभवों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझने के लिए अर्ध-संरचित गुणात्मक साक्षात्कार में भाग लिया। स्वास्थ्य देखभाल के अनुभवों को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में सामाजिक धारणा, पारिवारिक दबाव, शिक्षा, आवास और रोजगार में भेदभाव, सामान्य उपचार जैसे सामान्य विषयों को खोजते हुए साक्षात्कारों को प्रतिलेखित और कोडित किया गया। पेपर मुख्य रूप से ट्रांस प्रतिभागियों के जीवित अनुभवों और विशेषज्ञता पर निर्भर करता है, जो विद्वान स्रोतों द्वारा पूरक है जो इन सामाजिक मुद्दों के प्रभाव को दोहराते हुए बताता है कि इनमें से प्रत्येक कारक ट्रांस लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और पहुंच को कैसे प्रभावित करता है। अंतिम खंड दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और उससे आगे के क्षेत्रों में अनुसंधान और ट्रांस समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए भविष्य की दिशाएं प्रदान करता है।

चौधरी एट अल., (2023) । अरवानी तमिलनाडु राज्य में ट्रांसजेंडर समुदायों (पुरुष से महिला) में से एक है जो खुद को पुरुष शरीर में फंसी महिला मानता है। वे महज क्रॉस ड्रेसर नहीं हैं. उनमें से कुछ पूर्ण महिला बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए सर्जरी करवाती हैं। वे पांडव राजकुमार अर्जुन और नागा राजकुमारी उलूपी के पुत्र अरावन या इरावन की पूजा करते हैं। तमिलनाडु के अरवानी खुद को भारत के अन्य हिस्सों में किन्नर, हिजड़ा, किन्नर, कोठी, शिव शक्ति और जोगप्पा समुदायों की तरह तीसरे लिंग के रूप में पहचानते हैं। हिजड़ा आबादी भारत में सबसे अधिक दिखाई देने वाली ट्रांसजेंडर आबादी है। 2014 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले, हिजड़ों को भारत में तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया गया था। जबकि हिजड़ों के पास पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार हैं, इस पेपर का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति की उनकी खोज है जिसका अध्ययन करना है। पौराणिक कथाओं से उधार लेते हुए, तमिल ट्रांसजेंडर समुदाय, अरवानी ने एलजीबीटीक्यू स्पेक्ट्रम के भीतर अपनी जगह बनाने का प्रयास किया है। यह पेपर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यौन पहचान बनाने में अरवानी आंदोलन की भूमिका और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने पर इसके प्रभाव और प्रभाव की जांच करता है। यौन पहचान की दिशा में यात्रा को मैप करने के लिए समुदाय के आत्मकथात्मक रिकॉर्ड और सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक संदर्भों के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक विकास पर प्रकाश डालने वाले लेखों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में प्रयुक्त प्राथमिक पाठ हमारे जीवन, हमारे शब्द और मेरे बारे में सच्चाई हैं।

घोष, संजीत. (2023)। यौन अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यकों के यौन झुकाव से पहचान नहीं रखते हैं, जो स्वभाव से विषमलैंगिक, सिजेंडर और गैर-इंटरसेक्स हैं। इन समूहों को अनिवार्य रूप से LGBTQIA+ (लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक) या क्वीर समुदाय के रूप में जाना जाता है और उनके अपने यौन रुझान और सर्वनाम होते हैं। हालाँकि विविधता और समावेशन (डी एंड आई) का दायरा कोविड-19 के बाद से व्यापक हो गया है, और मजबूत सहयोगीता और कम पूर्वाग्रह सबसे अधिक दबाव वाले मामले हैं। यौन अल्पसंख्यकों को जनता के बीच अपनेपन की भावना दिलाने के लिए अधिक संवेदनशीलता और जागरूकता आवश्यक है। यह पेपर भारतीय राजनीतिक विमर्श और मुख्यधारा मीडिया (अंग्रेजी समाचार) में यौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को खोजने का प्रयास करता है। क्या यह हास्यास्पद, आपराधिक या पारंपरिक है? भले ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को अपराधमुक्त किए जाने के बाद से क्वीर समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है। एक नया सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी वातावरण अभी भी वांछित है और समग्र रूप से सामाजिक परिवर्तन को प्रज्वलित करने के लिए राजनीतिक नेताओं के हस्तक्षेप की मांग करता है। यह गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध है। द्वितीयक डेटा विभिन्न स्रोतों जैसे पत्रिकाओं, वेबसाइटों, लेखों और विभिन्न समाचार पत्रों की समीक्षाओं आदि से एकत्र किया गया था। यह शोध प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से कोलकाता और बैंगलोर में शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के बीच आयोजित किया गया था। एक प्रश्नावली की मदद से कुल 50 प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं, जिन्हें उत्तर पाने के लिए डिजिटल रूप से प्रसारित किया गया और विश्लेषण भारतीय राजनीतिक विमर्श और मुख्यधारा मीडिया में LGBTQIA+ समुदाय के प्रतिनिधित्व के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए किया गया; चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक.

श्रीराम एट अल., 2023. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में सहमति से की गई समलैंगिक गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इसने एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कई न्यायिक हस्तक्षेपों का मार्ग प्रशस्त किया। एक ट्रांसवुमन की शादी को मान्यता देने से लेकर शिशु आईजीएम सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने तक, न्यायपालिका ने बहुत योगदान दिया है। दुर्भाग्य से, विधायिका इस दिशा में काम नहीं कर रही है, और समुदाय विवाह के अधिकार जैसे अपरिहार्य अधिकारों से वंचित है। यह अध्याय समान विवाह अधिकारों के महत्व और स्वास्थ्य देखभाल, गोद लेने, विरासत आदि सहित अन्य अधिकारों की रक्षा में इसकी आंतरिक भूमिका का पता लगाता है। लेखक पिछले दशक में हुई न्यायिक सफलताओं का विश्लेषण करेंगे और ऐसा करने में वैधानिक ढांचे की बाधाओं की आलोचना करेंगे। जिसका सामना न्यायपालिका को करना पड़ता है। यह अध्याय दुनिया भर में समान विवाह अधिकारों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करेगा। अंत में, भारत के 'परिवर्तनकारी' संविधान के तहत निहित समुदाय के अधिकारों की गारंटी के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा की गई है।

बेविलाक्वा, डेनिएला। (2022)। यह लेख किन्नर अखाड़ा का परिचय देता है, जो हाल ही में स्थापित एक ट्रांसजेंडर धार्मिक संगठन है, जो हिजड़ा परंपरा से उपजा है, जो भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की धार्मिक रूप से समन्वित उपसंस्कृति है। किन्नर अखाड़े की स्थापना 2015 में एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और उस समय हिजड़ा नेता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अन्य हिजड़ों के साथ मिलकर की थी। उनका उद्देश्य भारतीय आबादी के बीच हिजड़ों (जिसे अब किन्नर कहा जाता है) और ट्रांसजेंडर लोगों की उपस्थिति को वैध बनाना था। इसे प्राप्त करने के लिए, उन्होंने एक पुरानी हिंदू धार्मिक पहचान को उजागर किया, अखाड़ों की पुरुष-प्रधान और परिवर्तन-प्रतिरोधी पितृसत्तात्मक दुनिया को चुनौती दी, जबकि हिजड़ा परंपराओं की इस्लामी विरासत पर भी सवाल उठाया। लेख हिजड़ा परंपरा के चयनात्मक संस्कृतिकरण और धार्मिक नारीवाद के एक रूप के रूप में किन्नर अखाड़े का विश्लेषण करता है। यह इस धार्मिक आंदोलन की जटिलता को उजागर करता है, जो स्थानीय और वैश्विक गतिशीलता का उपयोग करता है और सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देता है।

जैन, दीपिका, और देबानुज दासगुप्ता। (2021)। दक्षिण एशिया विविध लिंग पहचानों से भरा हुआ है जो धर्म, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने अदालतों से विविध लिंग पहचानों की कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार संबंधी बयानबाज़ी को सफलतापूर्वक लागू किया है। हालाँकि, सरकारों और न्यायपालिकाओं द्वारा ट्रांसजेंडर छत्र के तहत इन विविध पहचानों और प्रथाओं को एक ही श्रेणी में ढहाने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी मान्यता के लिए जटिल तंत्र तैयार हो गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है, जो बदले में कानून, सक्रियता और मानवाधिकारों के बीच गतिशील परस्पर क्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस लेख में, हम पूरे दक्षिण एशिया में विविध लिंग पहचानों की कानूनी मान्यता में बदलावों द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और अवसरों की रूपरेखा तैयार करते हैं। हमारा तर्क है कि पूरे दक्षिण एशिया में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता देने के बारे में राष्ट्रीय स्तर के कानूनी और न्यायिक विचार-विमर्श में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों का उपयोग सीमित अवसर प्रदान करता है, और ज्यादातर औपचारिक नागरिकता तक पहुंच को सीमित करता है, यही उद्देश्य ये कानून हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही, कानून की सीमाओं के साथ कुश्ती के इस क्षण ने, अलग-अलग राज्यों से पूर्ण मान्यता की मांग को जारी रखते हुए, एक जीवंत ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की सीमा पार लामबंदी को जन्म दिया है। इस तरह की लामबंदी से पता चलता है कि कैसे विविध ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता पूरे दक्षिण एशिया में गठबंधनयुक्त बहु-मुद्दा ट्रांस/न्याय आंदोलन बनाने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं।

उपाध्याय, निशांत. (2020)। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को "उपनिवेशवाद-विरोधी अधिनियम" के रूप में चिह्नित किया गया है। धारा 377, जो समलैंगिकता को अपराध मानती है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया एक औपनिवेशिक कानून था, जिसे उत्तर-औपनिवेशिक राज्य ने 2018 तक बनाए रखा। निर्णय इरादे में "उपनिवेशवादी" हो सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य प्रक्रियाएं भी चल रही हैं जो इतनी उपनिवेशवादी नहीं हैं अभ्यास; इस निबंध में तर्क दिया गया है कि ये प्रक्रियाएँ उपनिवेशवाद, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और इस्लामोफोबिया हैं। जाति-आधारित हिंसा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और उत्पीड़न के अन्य तरीकों के साथ जुड़ी हुई है, जिससे हिंदू धर्म के किसी भी दावे के लिए जाति को समलैंगिक, ट्रांस और लिंग गैर-अनुरूप अनुकूल माना जाता है। भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के पक्ष में हालिया हिंदू राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हुए, यह निबंध बताता है कि कैसे हिंदू दक्षिणपंथी अपने इस्लामोफोबिक, जातिवादी और समलैंगिकतावादी एजेंडे को प्रचारित करने के लिए विचित्रता का इस्तेमाल करते हैं। निबंध में तर्क दिया गया है कि कानून, राज्य और कामुकता को उपनिवेश से मुक्त करने का मतलब जाति और ब्राह्मणवादी संरचनाओं को नष्ट करना भी होगा।

तिवारी, अक्षय, और कुसुम पाल। (2020)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जिसमें हमें जीवित रहने के लिए लगभग सभी आवश्यक अधिकार देने की व्यापक गुंजाइश है, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिसे यह मूल अधिकार आजादी के लगभग 67 साल बाद मिला, वह भी तब जब यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि हमारी संस्कृति

में इस समुदाय का हमेशा उल्लेख और सम्मान किया गया था। अपने लिंग की पहचान करने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। 2014 में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस एकांत समुदाय को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता देता है। यह यात्रा कोई आसान काम नहीं थी, 17वीं शताब्दी में औपनिवेशिक युग के दौरान ट्रांसजेंडरों को अपराध घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि लगभग 4 से 5 पीढ़ियों को अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न, शर्मिंदगी और समाज से हाशिये पर धकेल दिया गया। यह पेपर हमारी संस्कृति में ट्रांसजेंडरों के पौराणिक साक्ष्य और प्राचीन युग से लेकर तीसरे लिंग बनने तक की उनकी यात्रा से संबंधित है।

भट्टाचार्य, सायन. (2019)। 2014 के एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग पुष्टिकरण सर्जरी की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी लिंग पहचान चुनने के अधिकार की पुष्टि की। इस फैसले के बाद, भारत भर के राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्डों का गठन कर रहे हैं और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसे एक ऐसा कानून माना जाता है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षित रखेगा। यह कानूनी मान्यता मीडिया अभियानों की एक श्रृंखला से भी मेल खाती है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रवाद की आड़ में भारतीय नागरिकता के लिए अपना दावा पेश करते हुए दिखाया गया है, जो हमेशा पहले से ही बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवाद है। इस प्रकार, ये दोहरे घटनाक्रम यह सवाल उठाते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करना भारतीय नागरिकता का दावा करने का एकमात्र तरीका है। भारत से हाल ही में क्वीर अध्ययन छात्रवृत्ति ने हमें क्वीर और ट्रांसजेंडर आंदोलनों के बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्रवाद में तब्दील होने के खतरे से आगाह किया है, जिससे गैर-नागरिकों से युक्त संवैधानिक बाहरी लोगों का निर्माण होगा जो इस तरह के राष्ट्रवाद का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस पेपर का तर्क है कि इस तरह के मेटा-कथा से भारत के ट्रांसजेंडर आंदोलनों के भीतर उभरने वाले प्रतिरोध और विरोध के सूक्ष्म-आख्यान के गायब होने का खतरा है जो नागरिकता अधिकारों की तलाश के लिए राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के किसी भी एकल कथा को बाधित करता है।

III. सामाजिक भेदभाव

स्वतंत्रता के बाद भी किन्नर समुदाय को भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर सामाजिक बहिष्कार, अपमान, और हिंसा का शिकार होना पड़ा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी कठिनाईयां आईं। रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा में भेदभाव, और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता ने उनकी स्थिति को और जटिल बना दिया। परिवार और समुदाय द्वारा अस्वीकृति और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उनके जीवन को प्रभावित करती रहीं। इन चुनौतियों के बावजूद, किन्नर समुदाय ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखा, जिससे धीरे-धीरे उनके अधिकारों की मान्यता और सामाजिक स्वीकृति की दिशा में सुधार हुआ।

IV. महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति

स्वतंत्रता के बाद किन्नर समुदाय के अधिकारों में महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति हुई है, जिसमें 2014 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके बाद 2019 में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' पारित किया गया, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। इन कानूनी प्रगतियों ने किन्नर समुदाय की पहचान, सुरक्षा, और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, हालांकि इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता की दिशा में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

4.1 शिक्षा और रोजगार में सुधार

स्वतंत्रता के बाद, किन्नर समुदाय को शिक्षा और रोजगार में महत्वपूर्ण सुधारों का अनुभव हुआ है। कई राज्य सरकारों और संगठनों ने उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण और विशेष अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनकी शिक्षा में समानता और पहुंच में सुधार हुआ है। वैसे ही, रोजगार के क्षेत्र में भी उन्हें समानता के मौके मिले हैं, और कई उद्योगों ने उन्हें समेत करने के लिए नीतियों को संशोधित किया है। यह सुधार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर रहे हैं, हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी हैं, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों की बढ़ती मांग पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

4.2 स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

स्वतंत्रता के बाद, किन्नर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधारों का सामना हुआ है। कई राज्य सरकारें और संगठनों ने उन्हें विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सेवाओं की पहुंच प्रदान की है, जो उनकी विशेषता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। इन सुधारों से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में समानता और पहुंच में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में चुनौतियाँ हैं, जैसे जागरूकता, पहुंच, और भेदभाव की मौजूदगी, जिन्हें हल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.3 ट्रांसजेंडर से संबंधित कानून

भारत में किन्नरों के संबंध में कई कानूनी प्रावधान हैं जो उनके अधिकारों की सुरक्षा और समर्थन को संबंधित करते हैं।

- किन्नर प्रारूप (पहचान) कानून, 2019:

यह कानून भारतीय समाज में किन्नरों को विशेष पहचान और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रारूपित किया गया है। इसके तहत, किन्नरों को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शिक्षा, रोजगार, और अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

- भारतीय दंड संहिता, 1860:

किन्नरों को अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार करने और समाज में समर्थन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, धारा 377 का इतिहास बदल गया है। इस धारा को अब गैर-प्राकृतिक संलैंगिकता को गैर-दंडनीय बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

- भारतीय सामाजिक संस्थाओं (विशेष दिव्यांगों के अधिकार) अधिनियम, 2016:

इस अधिनियम के तहत, किन्नरों को विशेष दिव्यांग के रूप में माना जाता है और उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्थन प्राप्त होता है।

- भारतीय नागरिकता कानून, 1955:

यह कानून किन्नरों को भारतीय नागरिकता के अधिकारों का लाभ देता है और उन्हें भारत के नागरिकों के रूप में माना जाता है।

इन कानूनों के माध्यम से, किन्नरों को समाज में समर्थन, समानता, और सम्मान का अधिकार प्राप्त होता है। ये कानून उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने में सहायक होते हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं।

4.4 सरकारी या गैर-सरकारी पदों पर ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक समानता और समर्थन को प्रकट करता है। यहां कुछ ऐसे पदों का उल्लेख है जिन पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है:

- स्कूल शिक्षक:

कई राज्यों में स्कूलों में शिक्षक के पद पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। यह कदम उन्हें सामाजिक मुद्दों में शिक्षित करने, छात्रों के बीच समर्थन प्रदान करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने का माध्यम बनता है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर शिक्षकों की मौजूदगी छात्रों को समाज में विभिन्नता के प्रति समझाने और स्वीकार करने में मदद करती है।

- सरकारी नौकरी:

कुछ राज्यों और केंद्रीय सरकारी विभागों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में नियुक्त किया गया है। वे अलग-अलग विभागों में उनके कौशलों और योग्यताओं के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, और अन्य क्षेत्रों में। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी संस्थानों में समाहित होने का मौका मिलता है और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है।

ये उदाहरण सिर्फ एक आरंभ हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारी प्रदान करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों में उन्हें और भी अधिक संवेदनशीलता और समानता के साथ देखा जाना चाहिए। यह समर्थन और समानता समाज के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार मौके मिल सकें और समाज में समान रूप से शामिल हो सकें।

V. सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति

स्वतंत्रता के बाद, किन्नर समुदाय के लिए सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों, और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किन्नर समुदाय के मुद्दों को उजागर किया और उनके समाज में सम्मान और सहमति को बढ़ावा दिया। इससे किन्नर समुदाय की पहचान में सुधार हुआ और समाज में उनके प्रति अधिक उदारता और समर्थन का वातावरण बना। हालांकि, अभी भी कुछ समाजों और क्षेत्रों में उनके खिलाफ अभिमुखता और भेदभाव बना रहता है, जिसे समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

VI. अवशिष्ट चुनौतियाँ

किन्नर समुदाय के अधिकारों में सुधार के बावजूद, उन्हें अभी भी कई अवशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार, हिंसा और उत्पीड़न जैसी समस्याएं अभी भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसरों की कमी और भेदभाव उनके जीवन को और जटिल बनाते हैं। कानूनी सुधारों के बावजूद, उनके प्रभावी

क्रियान्वयन में कमी है, जिससे कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। सामाजिक स्वीकृति की कमी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक और नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

VII. निरंतर प्रयासों की आवश्यकता

किन्नर समुदाय के अधिकारों और स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि कानूनी और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, और हिंसा की समस्याएं बनी हुई हैं। प्रभावी कानूनों के क्रियान्वयन, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की गारंटी, और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और संगठित प्रयास आवश्यक हैं। इसके साथ ही, समाज में किन्नर समुदाय के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाने के लिए शिक्षा और संवेदनशीलता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और समर्थन बढ़ाने के साथ-साथ किन्नर समुदाय की आवाज़ को राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ:

1. भारद्वाज, डॉ. निशा। "ट्रांसजेंडर: ट्रांसजेंडर या लिंग गैर-अनुरूप व्यक्तित्व कौन है।" एसएसआरएन 4836057 (2024) पर उपलब्ध है।
2. भारद्वाज, डॉ. निशा। "तीसरा लिंग और किन्नर समाज: पहचान, जीवन और सामाजिक मुद्दा।" जीवन और सामाजिक मुद्दा (अगस्त 10, 2023) (2023) ।
3. उपाध्याय, निशांत. "हिंदू राष्ट्र और उसके समलैंगिक: जाति, इस्लामोफोबिया, और भारत में उपनिवेशवाद से मुक्ति।" हस्तक्षेप 22.4 (2020): 464-480।
4. तिवारी, अक्षय और कुसुम पाल। "भारत में लिंग पहचान की पौराणिक कथाओं से तीसरे लिंग तक की यात्रा।" पालआर्च जर्नल ऑफ़ आर्कियोलॉजी ऑफ़ इजिप्ट/इजिप्टोलॉजी 17.16 (2020): 20-28।
5. बेविलाक्वा, डेनिएला। "हाशिये से डेमिगॉड तक।" एशियाई नृवंशविज्ञान 81.1/2 (2022): 53-82।
6. क्रेग, रे। "दिल्ली में ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदायों की स्थिति: सामाजिक आर्थिक कारकों को स्वास्थ्य से जोड़ने वाले केस अध्ययन।" (2023) ।
7. जैन, दीपिका और देबानुज दासगुप्ता। "कानून, लिंग पहचान और मानवाधिकारों का उपयोग: दक्षिण एशिया में मान्यता का विरोधाभास।" जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स 20.1 (2021): 110-126।
8. भट्टाचार्य, सायन। "ट्रांसजेंडर राष्ट्र और उसके हाशिए: कानून के कई जीवन।" साउथ एशिया मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक जर्नल 20 (2019) ।
9. चौधरी, नीना रॉय, और सी. हरिनी। "नागरिक के रूप में अरवानी: एक यौन पहचान का निर्माण।" एडवांस्ड जर्नल ऑफ सोशल साइंस 12.1 (2023): 30-38।
10. घोष, संजीत। "भारतीय राजनीति और मीडिया में यौन अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व।" इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च 6.4 (2023): 97-102।
11. श्रीराम, संगीता, और सिंहंजना गोपीकृष्ण सुमति। "गौरव की ओर एक अथक मार्च: समान विवाह अधिकारों का दावा।" समसामयिक दुनिया में वैश्विक LGBTQ+ चिंताएँ: राजनीति, पूर्वाग्रह और समुदाय। आईजीआई ग्लोबल, 2023. 1-29.
12. ढल, संगीता। "सार्वजनिक नीति प्रवचन और यौन अल्पसंख्यक: लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, राजनीतिक औचित्य और नैतिक अधिकारों को संतुलित करना।" इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 68.1 (2022): 34-47।